का॰ज्ञा॰ सं॰ 12024/2/92-रा॰भा॰ (ख-2), दिनांक 21.07.1992

विषय:— संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के चौथे खंड में की गई सिफारिशें-रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खंड में यह सिफारिश की है कि (1) सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिए (2) सभी क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्दियों पर लगाए जा रहे बिल्ले/प्रतीक चिह्न आदि द्विभाषी होने चाहिए (3) ''क'' और ''ख'' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखें जाए। ये सिफारिशें आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है और इस संबंध में सरकार का निर्णय इस विभाग के संकल्प संख्या 12029/10/91-रा॰भा॰(भा॰) दिनांक 28.01.1992 द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सूचित किया जा चुका है।

2. गृह मंत्रालय में कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/65/68-रा॰भा॰ दिनांक 19.08.68 एवं का॰ज्ञा॰सं॰ 11015/43/72-रा॰भा॰ दिनांक 08.02.1974 में क्रमश: यह आदेश दिए गए हैं कि कर्मचारियों की सेवा पंजियों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं राजभाषा विभाग के दिनांक 25.07.1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14011/5/1975-रा॰भा॰ (क-1) में बिल्लों एवं प्रतीक चिह्नों आदि को द्विविभाषी रूप में लगाए जाने से संबंध में निदेश जारी किए गए है। हिंदी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिंदी में लिखें जाने के संबंध में निदेश गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/50/62-रा॰भा॰ दिनांक 30.07.1962 में दिए गए हैं।

3. संसदीय राजभाषा समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि:

(1)''क'' व ''ख'' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखें जाने वाले रजिस्टरों/सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं।*

(2) सभी क्षेत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्दी पर लगाए जाने वाले बिल्लों/प्रतीक चिह्नों, वर्दियों पर काढ़े जाने वाले नामों आदि को द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) रूप में तैयार कराया जाए।

(3) ''क'' तथा ''ख'' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखें जाए।

4. मंत्रालयों/विभागों आदि से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी संबंध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें। इस संबंध में जारी किए गए निदेशों की प्रतियां इस विभाग को भी भिजवाने का कष्ट करें।* ''ग'' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथा सम्भव हिन्दी में की जाए।।